न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

पीठासीन अधिकारीः— श्री मारिंगा राम, आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्याः— 218 / 2025

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
1. शिव प्रकाश नागला पुत्र मोहन लाल नागला जाति ब्राह्मण निवासी सरदारपुरा तह0 सोजत जिला पाली राज0।		1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (भूमि धारक) सोजत जिला पाली राज0।

राजस्व प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितिः—

1. श्री गोविन्द प्रसाद, श्रीमती सोनल बोहरा अधिवक्तागण प्रार्थी उपस्थित।
2. तहसीलदार सोजत स्वयं उपस्थित।

उप खण्ड अधिकारी सोजत, जिला–पाली (राज.)

—: निर्णय :— दिनांक —10/09/2025

अधिवक्ता प्रार्थी ने राजस्व प्रार्थना पत्र विरूद्ध अप्रार्थीगण के पेश कर निवेदन किया कि सरहद मौजा गांव सरदारपुरा पटवार हल्का मण्डला तहसील सोजत जिला पाली राजस्थान में प्रार्थी की कृषि भूमि आयी हुई स्थित है, जिसका विवरण इस प्रकार है—

सम्पति ''ए'' वर्तमान खाता नंबर — 45 पुराना खाता नंबर — 50 खसरा नंबर 137/1, 139/1, 139/4, 143/2, 415 कुल खसरा 05 कुल रकबा 2.8000 हैक्टर, इसी प्रकार सम्पति ''बी'' वर्तमान खाता नंबर — 46 पुराना खाता नंबर — 51 खसरा नंबर 88, 91/1, 92 कुल खसरा 03 कुल रकबा 2.5100 हैक्टर, इसी प्रकार सम्पति ''सी'' वर्तमान खाता नंबर — 47 पुराना खाता नंबर — 53 खसरा नंबर 420 रकबा 0.9000 हैक्टर, इसी प्रकार सम्पति ''डी'' वर्तमान खाता नंबर — 48 पुराना खाता नंबर — 43 खसरा नंबर 403, 406, 408 कुल खसरा 03 कुल रकबा 2.0600 हैक्टर, इसी प्रकार सम्पति ''ई'' वर्तमान खाता नंबर — 50 पुराना खाता नंबर — 44 खसरा नंबर 93, 94 कुल खसरा 02 कुल रकबा 2.2500 हैक्टर, इसी प्रकार सम्पति ''एफ'' वर्तमान खाता नंबर — 129 पुराना खाता नंबर — 119 खसरा नंबर 88/2, 89, 90, 92/2 कुल खसरा 04 कुल रकबा 0.6600 हैक्टर, इसी प्रकार सम्पति ''जी'' वर्तमान खाता नंबर — 130 पुराना खाता नंबर — 117 खसरा नंबर 137/3, 138, 140, 141, 143/3, 414/1 कुल खसरा 06 कुल रकबा 0.5600 हैक्टर, इसी प्रकार सम्पति ''एच'' वर्तमान खाता नंबर — 134 पुराना खाता नंबर — 130 खसरा नंबर 407 रकबा 2.2500 हैक्टर की कृषि भूमि आयी हुई स्थित हैं। उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि में प्रार्थी का माफिक राजस्व रेकर्ड अनुसार खातेदार काश्तकार है तथा उक्त भूमि के राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का नाम शिवलाल अंकित है, जबकि प्रार्थी के संपूर्ण दस्तावेजात आधार कार्ड, पेन कार्ड, बैंक डायरी इत्यादि में नाम शिव प्रकाश नागला अंकित हैं। प्रार्थी का नाम शिव प्रकाश नागला के स्थान पर शिवलाल दर्ज हो जाने से प्रार्थी का कई सरकारी, अर्द्धसरकारी विभाग में प्राप्त योजनाओं से वंचित होना पड़ रहा हैं व अन्य लाभों से

उपखण्ड अधिकारी

वंचित होना पड़ रहा हैं। इसलिए वादग्रस्त कृषि भूमि के प्रार्थी का नाम शिवलाल के स्थान पर शिव प्रकाश नागला दर्ज किया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत हैं। इस प्रकार अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रा0पत्र पेश कर उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का नाम शिवलाल के स्थान पर शिव प्रकाश नागला के नाम से शुद्धि किया जाकर राजस्व रेकर्ड दुरूस्ती किया जाने का आदेश पारित फरमाये जाने की ईश्तदुआ की हैं।

इस पर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार सोजत द्वारा जबाव प्रार्थना पत्र पेश कर पैरा सं0 1 में वर्णित कृषि भूमि सरहद मौजा सरदारपुरा में स्थित होना, पैरा सं0 2 से 03 का जवाब प्रार्थी स्वयं न्यायालय में साक्ष्य सबूत पेश कर साबित करना तथा पैरा सं0 04, 05 का कानूनी होना अंकित किया हैं।

प्रकरण में वादग्रस्त कृषि भूमि के मौका एवं रेकर्ड की वस्तुस्थिति हेतु तहसीलदार सोजत को लिखा जाने पर तहसीलदार सोजत मय हल्का पटवारी द्वारा वस्तुस्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम सरदारपुरा के खाता सं0 45, 46, 47, 48, 50, 129, 130, 134 में शिवलाल पुत्र मोहनलाल जाति ब्राह्मण सा0 देह खातेदार दर्ज हैं। मौका पर शिवलाल पुत्र मोहनलाल द्वारा काश्त की जाती है तथा कब्जा है प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज अनुसार शिवलाल पुत्र मोहनलाल तथा शिवप्रकाश नागला दोनो एक ही काश्तकार हैं। की रिपोर्ट पेश की, सा0मि0 हो।

उप खण्ड अधिकारी सोजत, जिला-पाली (राज.)

बहस अधिवक्ता प्रार्थी एवं अप्रार्थी तहसीलदार सोजत सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का नाम शिवलाल के स्थान पर शिव प्रकाश नागला के नाम से शुद्धि किया जाकर राजस्व रेकर्ड दुरूस्ती किया जाने का आदेश पारित फरमाये जाने की ईश्तदुआ की हैं। जवाब बहस में तहसीलदार सोजत द्वारा कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया हैं।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, फहरिस्त मय दस्तावेजात का अवलोकन कर बहस उभय पक्षकारान पर गौर व मनन किया गया। वस्तुतः तहसीलदार सोजत द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार शिवलाल पुत्र मोहनलाल और शिवप्रकाश नागला पुत्र मोहनलाल दोनों नाम एक ही काश्तकार हैं तथा वादग्रस्त भूमि पर मौके पर शिवलाल पुत्र मोहनलाल द्वारा काश्त की जाती हैं। प्रार्थी के अन्य दस्तावेजों यथा आधार कार्ड 9546 6253 0937, पैन कार्ड सं0 AAJPN2508H इत्यादि से प्रार्थी का सही व वास्तविक नाम शिव प्रकाश नागला पुत्र मोहनलाल होने की संपुष्टि होती हैं। लिहाजा प्रार्थी का प्रा0पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त कृषि के राजस्व रेकर्ड में दर्ज प्रार्थी का नाम शिवलाल के स्थान पर शिव प्रकाश नागला के नाम से शुद्धि किया जाकर राजस्व रेकर्ड दुरस्ती किया जाना उचित समझते हैं।

उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)

—: आदेश :—

अतः अधिवक्ता मय प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि खाता सं0 45, 46, 47, 48, 50, 129, 130, 134 के राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में प्रार्थी का नाम शिवलाल पुत्र मोहनलाल के स्थान पर शिव प्रकाश नागला पुत्र मोहनलाल दुरूस्त इन्द्राज किये जाने के आदेश दिए जाते है। तदानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। तहसीलदार सोजत को उक्त निर्णय की प्रति भेजी जाकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील/तरतीब जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

(मासिंगा राम)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत

यह निर्णय आज दिनांक 16/09/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मासिंगा राम)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत